

प्रेषक,

धर्मेन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर, हाथरस, जालौन, हापुड़, आगरा, औरैया,
बाराबंकी, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद हमीरपुर,
इटावा, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर,
महोबा, मैनपुरी मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़
शाहजहांपुर, श्रावस्ती एवं सोनभद्र ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर, 2022

विषय:-पी0एम0पोषण (मध्यान्ह भोजन) योजनान्तर्गत किचेन उपकरण मद में धनराशि के पुर्न-आवंटन की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्रांक-म0भो0प्रा0/1032-33/2022-23 दिनांक 19 जुलाई, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य मद में अनुदान संख्या-71, लेखा शीर्ष 2202-01-112-01-0103-कुकिंग लागत आदि (के. 60/रा. 40-के.+रा.) 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद तथा राज्यांश व्यय लेखा शीर्ष 2202-01-112-89-8903 कुकिंग लागत आदि-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) किचेन उपकरण मद में कालातीत/समर्पित धनराशि रू0 250.55 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख पचपन हजार मात्र) (केन्द्रांश रू0 150.33 लाख व राज्यांश रू0 100.22 लाख) की वित्तीय स्वीकृति जनपदवार संलग्न सूची 01 व 02 के अनुसार उपर्युक्त जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्गत किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं-

- (1) उक्त स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार आहरित कर निर्धारित कार्यों पर व्यय की जायेगी। जिलाधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त मद में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का पुनः आहरण न होने पाये तथा धनराशि कालातीत हो जाने के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) इस धनराशि के लेखों के रख-रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र

निर्धारित समयान्तर्गत निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

- (3) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपयोग उसी कार्य हेतु किया जायेगा।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं योजना से सम्बन्धित अन्य सुसंगत शासनादेश/दिशा-निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) योजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार ही धनराशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
- (6) धनराशि का कोषागार से आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
- (7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

2- उक्त पर होने वाला केन्द्रांश व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में सामान्य मद में अनुदान संख्या-71, लेखा शीर्ष 2202-01-112-01-0103-कुकिंग लागत आदि (के. 60/रा. 40-के.+रा.) 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद एवं राज्यांश का व्यय लेखा शीर्ष 2202-01-112-89-8903 कुकिंग लागत आदि-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-E-11-131-X-2022-23 दिनांक 9-12-2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
धर्मेन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- श्रमायुक्त, कानपुर।
- 3- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-म०भ०प्रा०/1032-33/2022-23 दिनांक 19 जुलाई, 2022 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 7- वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ ।
- 8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 10- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०।
- 11- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, उ०प्र०।
- 12- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3 ।
- 13- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
धर्मेन्द्र मिश्र,
अनु सचिव।